प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यावन'

[28/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6607]

परिशिष्ट – "अ"

वाहन अनुबंध शर्तें निविदा शर्तों के अनुसार हैं । वाहन से संबंधित प्रमुख शर्तों का सार निम्नानुसार हैं :–

1. गाड़ी 24 घण्टे ड्यूटी पर रहेंगी। **(निविदा की शर्त कमांक 3.11 एस.एल.ए. बिन्दू कमांक–9)**
2. गाड़ी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। **(निविदा की शर्त कमांक 4.4 बिन्दू कमांक–5)**
3. प्रत्येक गाड़ी में 3 ड्रायवर होगें। **(निविदा की शर्त कमांक 3.23.2)**
4. सभी ड्रॉयवर निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर रहेंगे। **(निविदा की शर्त कमांक 4.4 बिन्दू कमांक–3)**
5. गाड़ी का किराया मार्च 2020 तक के लिये फिक्स है। निविदा में उद्धृत किराया राशि में निविदा के समय लागू टैक्स (सर्विस टैक्स @12.36% एवं VAT @13%) सम्मिलित है। भविष्य में टैक्स में परिवर्तन का समायोजन होगा। **(निविदा की शर्त कमांक 3.10 बिन्दू कमांक –x एवं सेक्शन– IV)**
6. गाड़ी का मेन्टेनेन्स कम्पनी को ही करना होगा इसमे टायर, ट्यूब, बैटरी, मरम्मत, कॉच बदली सब कुछ शामिल होगा। **(निविदा की शर्त कमांक 4.4 बिन्दू कमांक–5)**
7. गाड़ी का बीमा कराने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। **(निविदा की शर्त कमांक 4.4 बिन्दू कमांक–4)**
8. गाड़ी में डीजल और अन्य ऑयल डलवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। डीजल का भुगतान बाद में बिल पेश करने पर होगा।**(निविदा की शर्त कमांक 3.8.2 बिन्दू कमांक–5)**
9. गाड़ी का एवरेज A.R.A.I. द्वारा निर्धारित एवरेज (14 कि.मी. प्रति लीटर) में 15% की छूट के साथ निर्धारित होगा (जो कि 11.9 कि.मी. प्रति लीटर होता है) चाहे वास्तव में गाडी का एवरेज कितना भी कम आये यदि कम्पनी ने ज्यादा डीजल खर्च किया है तो भी भुगतान निर्धारित एवरेज से ही होगा। शेष डीजल का भुगतान कम्पनी को ही वहन करना होगा। **(निविदा की शर्त कमांक 3.8.2 बिन्दू कमांक–5)**
10. गाड़ी का माइलेज वाहन में लगाये जाने वाले G.P.S. डाटा से तुलना करके दिया जावेगा गाड़ी के माइलोमीटर और G.P.S. डाटा दोनों में जो भी कम होगा, गाड़ी की रनिंग उतनी ही मानी जावेगी। **(निविदा की शर्त कमांक 3.8.2 बिन्दू कमांक–3)**
11. माह मे गाड़ी की उपलब्धता 95% या उससे ज्यादा होनी चाहिए यानि कि 30 दिन में 28.5 दिन गाड़ी ड्यूटी पर रहना चाहिए शेष 1.5 दिन मेन्टेनेन्स के लिए रह सकती है 95% से कम रहने पर प्रतिदिन की दर से कटौती तथा रू. 100 प्रतिदिन पेनाल्टी लगेगी। **(निविदा की शर्त कमांक 3.11 एस.एल.ए. बिन्दू कमांक–9)**
12. वाहनों के संचालन हेतु पर्यवेक्षक स्टॉफ (1 फ्लीट हैड, 4 असिस्टेट मैनेजर, 51 जिला प्रभारी कंपनी को तैनात करने होंगे। इनके वेतन भत्तों की राशि पृथक से नहीं दी जावेगी (यानि कि उद्धृत किराये में ही शामिल होगी।) **(निविदा की शर्त कमांक 3.23.2)**
13. सभी वाहन नये होंगे और निविदा दाता के नाम पंजीकृत होंगे। (यानि कि निविदादाता पुराने वाहन या बाजार से वाहन किराये पर लेकर डॉयल–100 में नहीं लगा सकेगा। इसका यह भी आशय है कि सभी वाहन टैक्सी के तौर पर परिवहन विभाग में पंजीबद्ध होंगे। **(निविदा की शर्त कमांक 4.4 बिन्दू कमांक–1)**
14. वाहन के ड्रायवर को F.R.V. के दायित्वों का एवं इसमें लगाये गये उपकरणों के संचालन का बिशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा। **(निविदा की शर्त कमांक 4.5 बिन्दू –कैपेसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग)**

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 6607

निविदा प्रक्रिया में तीन फर्मो द्वारा भाग लिया गया कम्पेरेटिव चार्ट

कमांक	निविदादाता का नाम	कुल निविदा राशि रू.
1	व्ही.बी.जी इंडिया लिमिटेड	5,57,47,51,967.98
2	जी.व्ही.के. इमरजेन्सी मैनेजमेण्ट एण्ड रिसर्च इन्सटीट्यूट	6,43,55,88,146.00
3	लार्सन एण्ड ट्रबो लिमिटेड	6,58,26,53,889.34

न्यूनतम दर (एल–1) आधार पर फर्म का चयन किया गया है।

VS